



1

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE GWALIOR
MADHYA PRADESH

A-1474-~~1999~~²⁰⁰¹/2002

M/s Chirag Ingotes Private Limited,
Through Its Director Shri Davendra Dewara,
R/o Jaora Compound Indore.

Appellant.

Versus.

1. Chairman MPEB,
Shakti Bhawan Vidut Nagar Jabalpur.

2. Chief Electrical Engineer Commercial,
Shakti Bhawan Vidut Nagar Jabalpur.

3. Additional Collector Dhar,
Collector Office Dhar (M.P.)

4. Additional Tehseeldar,
Tehseeldar Office Collector Dhar (M.P.)

Respondents


APPEAL UNDER SECTION 44 (1) (g) OF THE MP LAND
REVENUE CODE.

The appellant respectfully submits as under :-

The appellant filed this appeal against the order of the Additional
Commissioner (Shri M. Mohan Rai) Indore, passed in Revenue Appeal
No 469/2000/2001, vide order dated 22.04.2002, whereby the learned
Additional commissioner rejected the appeal of the appellant without
speaking order on merit of the case only on the ground of

On

श्री देवेंद्र देवरा (अपील)
श्री अति प्रमुख
21-6-02
1474-1999/2002




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1474-एक / 2002

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-12-2015	<p>अपीलार्थी की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22-4-2002 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30-5-01 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का अन्तिम रूप से निराकरण किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तिम स्वरूप का है, जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि प्रचलन योग्य नहीं थी । इसी प्रकार अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रचलन योग्य नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील अग्राह्य करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  (मनोज गोयल) अध्यक्ष </p>	